23.01.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह यक्त किया कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील अदम हाजरी व अदम पैरवी में दिनांक 29.5.2017 को खारिज होने की सूचना अपीलार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थी को नही दी, इस कारण से उक्त अपील में पारित आदेश दिनांक 29.5.2017 को निरस्त कराने एवं उक्त अपील प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिये जाने हेतु हेतु अन्दर मियाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही कर पाया है, जिसमें प्रार्थी की कोई लापरवाही नही रही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया उक्त राजस्व अपील संख्या 24/2016 में पारित आदेश दिनांक 29.5.2017 को निरस्त कराने एवं उक्त अपील प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन किया जावे। जबकि पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी के अधिवक्ता को इस न्यायालय द्वारा उक्त अपील प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 29.5.2017 को तीन बार आवाजे लगवाने के बावजूद अपीलार्थी के वकील उपस्थित नही होने से उक्त अपील प्रकरण को अदम को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया है, जिसको निरस्त कराने हेतु प्रार्थी ने विलम्ब से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसे खारिज किया जावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया गया कि राजस्व अपील संख्या 24/2016 में नियत सुनवाई तिथि दिनांक 29.5.2017 को इस न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के वकील को तीन बार आवाजें लगवाने के बाद भी अपीलार्थी के वकील इस न्यायालय में उपस्थित नही होने से दिनांक 29.5.2017 को अपीलार्थी की अपील को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया है। जिसको निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम, 1956 के तहत अप्रार्थीगण को विरुद्ध प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम में विलम्ब के संबंध में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भावनापूर्ण पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व अपील संख्या 24/2016 में पारित आदेश दिनांक 29.5.2017 को अपास्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं मूल प्रार्थना पत्र की पत्रावली के साथ नत्थी हो।

(के.आर.खौड)
अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:33:03 IST
Reason: SelfAttested